न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–।।, गाजीपुर

दण्डवाद सं0 39/2011

राज्य – प्रति – सच्चिदानंद सिंह

दिनांक : 30.03.2022 **पी.डब्ल्यू –01**

मैं, **प्रवीण कुमार यादव पुत्र श्री कमल सिंह यादव,** उम्र लगभग 45 वर्ष, हाल तैनाती थाना काइम ब्रांच, जनपद–अमेठी, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:–

दिनांक 27.02.2011 को मैं, बतौर एस.ओ.जी. प्रभारी जनपद गाजीपुर में तैनात था। उस दिन मेरे साथ हमराह कांस्टेबल संजय यादव, कांस्टेबल राणाप्रताप, कांस्टेबल राकेश रंजन, कांस्टेबल विजय तिवारी, कांस्टेबल प्रदीप यादव, कांस्टेबल आलोक सिंह व कांस्टेबल जगदीश मौर्या मय वाहन सरकारी गाड़ी नं0 यू.पी.61जी00040 व वाहन चालक कांस्टबेल परमहंस सिंह के साथ रवाना होकर पुरस्कार घोषित अपराधियों के तलाश करते सैदपुर थाना क्षेत्र में मौजूद था।

इसी बीच मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा सैदपुर स्थित रानीपुर चौक पश्चिम बाजार में स्थित कन्हैया लाल निगम के रिहायशी मकान के सामने एक कमरे को सच्चिदानंद सिंह उर्फ पिन्टू सिंह जो अपने सहयोगी दोस्त सुधीर सिंह जिला बक्सर बिहार किराये पर ले रखा है।

इन दोनों लोगों ने अपने कमरे में भारी मात्रा में नाजायज गांजा ला कर रखे है। जो कहीं बेचने के लिए जल्दी ही ले जाने वाले है। यदि शीघ्रता की जाय तो दोनों व्यक्ति पकड़े जा सकते है। चुँकि तत्काल में कोई मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध होना संभव नहीं हो सका। इस दशा में मुझ एस.ओ.जी. प्रभारी द्वारा थाना सैदपुर के उपनिरीक्षक संजय कुमार त्रिपाठी, उपनिरीक्षक धर्म सिंह, कांस्टेबल जयप्रकाश पाण्डेय, कां0 अनिल कुमार यादव मय सरकारी जीप व चालक, जौहरगंज तिराहे पर तलब करके उनको मकसद मुखबिरी बता कर बउमीद बरामदगी नाजायज गांजा व गिरफतारी अभियुक्तगण के मय मुखबिर के रानी चौक तिराहे पर पहुँच कर सरकारी वाहनों को मय चालक के छोड़ कर। उपरोक्त पुलिस बल के साथ कन्हैया लाल निगम के किराये पर दिये हुए मकान पर आया कि अचानक हम पुलिस वालों को देखकर मकान के उत्तर तरफ स्थित अन्तिम कमरे के पास खड़े दो व्यक्ति बाउंडरी पर चढ़ते हुए कुद कर भागने में सफल हो गये।

कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जिसकी खाना तलाशी मौके पर मौजूद मकान मालिक कन्हैया लाल निगम, आनंदी उर्फ अरविन्द कुमार निगम एवं श्रीमती मनाकी देवी के समक्ष समय 16:00 बजे ली गयी। तो कमरे के अन्दर रखी हुई चौकी पर रखा हुआ प्लास्टिक के कवर में पैक 16 पैकेट गांजा प्लास्टिक के रस्सी से बंधा हुआ। एक पैकेट गांजा तथा चौकी के नीचे 03 प्लास्टिक के बोरी में भरा हुआ गांजा बरामद हुआ। बरामद शुदा बोरियों में से एक बोरी पर ए.सी.सी., एक बोरी पर बिरला गोल्ड व एक अन्य बोरी पर ब्रान लिखा था।

बरामदशुदा 16 पैकेट प्लास्टिक कवर में पैक गांजे का वजन किया गया तो प्रत्येक पैकेट का वजन 8–8 किलो पाया गया। इस प्रकार कुल 128 किलोग्राम कुल 16 पैकेट का वजन पाया गया। प्लास्टिक की रस्सी से बंधा हुआ पैक गांजे का वजन 19 किलोग्राम पाया गया। इसके अलावा प्लास्टिक की एसीसी बोरी के अन्दर 10 किलोग्राम, बिरला गोल्ड के अन्दर 10 किलोग्राम एवं ब्रान लिखी हुई बोरी के अन्दर 33 किलोग्राम गांजा पाया गया।

पूछताछ पर मकान मालिक कन्हैया लाल निगम, अरविन्द कुमार एवं श्रीमती मनाकी देवी ने बताया कि यह कमरा करीब तीन माह पूर्व सच्चिदानंद सिंह उर्फ पिन्टू सिंह ग्राम मड़ई थाना जौनपुर एवं उसके साथी सुधीर सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह निवासी गरहथा थाना ब्रहमपुर जिला बक्सर बिहार ने 400 रूपये प्रतिमाह के किराये पर लिया था तथा दिन में कमरे पर रहते थे तथा रात में नहीं रहते थे।

पूछने पर वे दोनों हम लोगों को बताया कि हम लोगों भांग के ठिकेदार है और दुकान चलवाते है। हमलोग यह नहीं जानते थे कि यह लोग मेरा कमरा किराया पर लेकर नाजायज गांजा का कारोबार करेंगे। अभी आप लोग जैसे यहां पहुंचे है आप लोगों को देखकर वे दोनों बाउंडरी कुद कर भाग गये। इस प्रकार सच्चिदानंद एवं सुधीर सिंह का यह कार्य धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध है। बरामद शुदा गांजे को उन्हीं बोरियों में रखकर सील कर नमूना मुहर तैयार किया गया।

फर्द मौके पर लिखकर, पढकऱ और गवाहों को सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द शामिल पत्रावली कागज सं0 5अ/1 लगायत 5अ/2 को देखकर गवाह ने अपने लेख वर्णन व हस्ताक्षर का तस्दीक किया। जिस पर प्रदर्श क1 डाला गया। इस घटना के संबंध में विवेचक ने मेरा बयान लिया है। विवेचक ने मेरे निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया था।

<u>प्रतिपरीक्षा</u> x x x x x x x x

भागे हुए अभियुक्तों की गिरफतारी हेतु थाना सैदपुर के उपनिरीक्षक धर्मबीर सिहं एवं कां0 जय प्रकाश पाण्डेय व कां0 अनिल यादव को फर्द लिखने के पहले ही भेज दिया गया था। उक्त उपनिरीक्षक व अन्य पुलिस कर्मीयों के हस्ताक्षर फर्द पर बने हैं। मकान मालिक या उनके परिवार के लोगों ने मुझे कोई किरायानामा न तो दिखाया था और न तो दिया था। मकान मालिक एवं उसके परिवार के लोग मुल्जिमान का नाम किस आधार पर बताये थे। ये मैं नहीं बता सकता।

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि विवेचना के दौरान सहअभियुक्त सुधीर सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह निवासी ग्राम गरहथा थाना ब्रहमपुर जनपद बक्सर बिहार का नाम पता गलत पाया गया।

यह कहना गलत है कि मकान मालिक व उसके परिवार के लोगों ने हमे मुल्जिमान का कोई नाम पता नहीं बताया था।

यह भी कहना गलत है कि मुल्जिमान तथाकथित घटना के समय तथाकथित मकान में उपस्थित नहीं थे और नहीं भागे थे।

मौके पर मैंने बरामद शुदा माल से कोई नमूना माल नहीं निकाला था। मैंने मुखबिरी के संबंध में कोई मुखबिरी मेमो नहीं बनाया था और घटना के बाद भी कोई मुखबिरी मेमो नहीं बनाया था। फर्द बरामदगी में बरामद शुदा माल का मौके पर भौतिक या रासायनिक परीक्षण किया जाना अंकित नहीं हैं। उसके रंग, रूप और बनावट का भी विवरण फर्द में अंकित नहीं है।

यह कहना गलत है कि मुल्जिम सच्चिदानंद के दुश्मनान की साजिश में होकर गलत तौर पर फर्जी मुकदमा में फंसा दिया गया।

सुनकर तस्दीक किया

बयान मेरे बोलने पर टाईप किया गया।